

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 अप्रैल 2019—वैशाख 3, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2019

क्र. एफ-ए-3-18-2018-1-पांच (30).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 03 की उपधारा (4) एवं धारा 03-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-18-2018-1-पांच (20), दिनांक 11 फरवरी 2019 में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

सारणी में,

- (क) अ. क्र. 01 के कॉलम (03) में, शब्द और अंक “परिक्षेत्र इन्दौर-2” विलोपित किया जाए;
- (ख) अ. क्र. 02 के पश्चात्, निम्नांकित अ. क्र. एवं प्रविष्टि अंतःस्थापित किए जाएं:—

“03	श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर.	परिक्षेत्र इन्दौर-2”
-----	---	----------------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2019

क्र एफ-ए-3-18-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-18-2018-1-पांच (30), दिनांक 23 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd April 2019

No. F-A3-18-2018-1-V (30).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 03 and Section 3-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) the State Government hereby makes following amendements in this department's notification No. F-A3-18-2018-1-V (20) dated 11th February, 2019 namely,—

AMENDEMENTS

In the table;—

- (i) In column (03) of the S. No. 01, the word and figure "Zone Indore-2" shall be omitted;
- (ii) after S. No. 02, following S. No. and entries thereto shall be inserted:—

“03	Shri Ravindra Kumar Choudhary Additional Commissioner, Commercial Tax, Office of the Commissioner, Commercial Tax, Madhya Pradesh, Indore.	Zone Indore-2”
-----	---	----------------

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.